



सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

धोरीमन्ना-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी - भागीरथराम आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-22/2023

दर्जतिथि:-07.02.2023


1. तुलछाराम पुत्र गोरखाराम
जाति जाट निवासी खरतासर, उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
.....वादी
बनाम
1. हेमराज पुत्र पनाराम
2. राउराम पुत्र पनाराम
3. भंवरलाल पुत्र पनाराम
4. मोहनलाल पुत्र पनाराम
5. बाबूलाल पुत्र पनाराम
जाति ब्राह्मण निवासी खरतासर, उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना
6. हनुमानराम पुत्र कुम्भाराम
जाति जाट निवासी खरतासर, उड़ासर, तहसील धोरीमन्ना
.....असल प्रतिवादीगण
7. तहसीलदार धोरीमन्ना
.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:-श्री ओमप्रकाश विश्णोई
प्रतिवादीगण:-एकतरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 295/4.8724 है0, 277/8.6764 है0 किस्म बरानी सोयम वाके ग्राम खरतासर, पटवार हल्का उड़ासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार वादीगण के हिस्से तालिका में बिन्दु संख्या 1 के अनुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए प्रार्थीगण का अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार धोरीमन्ना को दिये जाते हैं।


सहायक कलक्टर
SDO धोरीमन्ना



क्र. सं.	खातेदार	हिस्सा	खसर T	रकबा	लगान	किरम	बरंग
1.	तुलछाराम पुत्र गोरखाराम जाति जाट सा.देह खातेदार	सम्पूर्ण	277 295 2	0.7230 0.4060 1.1290	0.22 0.12 0.34	वा.सो. वा.सो.	हरा
2.	बाबूलाल पुत्र पनाराम भंवरलाल पुत्र पनाराम मोहनलाल पुत्र पनाराम राऊराम पुत्र पनाराम जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार हड्डु.मानराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट सा.आलमसरिया खातेदार	2/11 3/11 2/11 2/11 2/11 2/11	277	7.9534	2.38	वा.सो.	आस मानी
3.	बाबूलाल पुत्र पनाराम भंवरलाल पुत्र पनाराम मोहनलाल पुत्र पनाराम राऊराम पुत्र पनाराम सत्यनारायण पुत्र हेमराज जातियान ब्राह्मण सा.देह हनुमानराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट सा.आलमसरिया खातेदार	2/11 2/11 2/11 2/11 1/11 2/11	295	4.4664	बा.सो.	1.34	आस मानी



उक्तानुसार वादी अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रैजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 19.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथप्रम और ए.एस.)
सहायक कलेक्टर
SDO धारमना
19/09/2025
धारमना-बठिण्डे